न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

प्रा0पत्र/07/2020

राज.सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक, कार्यालय जिला रसद कार्यालय भरतपुर

.....प्रार्थी

बनाम

श्री नरेश सिंघल पुत्र बाबूलाल जाति वैश्य निवासी गंगामंदिर कॉलोनी रुपवास

.....अप्रार्थी0

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, सपठित द्रवित पैट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000

उपस्थित :—

1—पैरोकार सरकार रसद

2—श्री पंकज कुमार, अभिभाषक अप्रार्थी,

निर्णय दिनांक 21—06—2024

प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए ईसी एक्ट पेश किया गया है। संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि दिनांक 29.10.20 को शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत फर्म अग्रवाल स्वीट्स इण्डिया, बस स्टैण्ड रुपवास के मालिक श्री नरेश सिंघल पुत्र बाबूलाल जाति वैश्य पर जाकर जांच की गई। मौके पर तीन घरेलू गैस सिलेण्डर आईआरीलएल कम्पनी (इण्डेन) पाये गये, जिनका वजन करन पर ये खाली पाये गये । अप्रार्थी नरेश ने उक्त 3 गैस सिलेण्डरों के भण्डारण वैधता व स्त्रोत बावत कोई भी वैध दस्तावेज एवं अनुज्ञापन नहीं पाया गया। अप्रार्थी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डरों को उक्त फर्म पर अवैध दुरुपयोग करने पर द्रवित पैट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 एवं 7सी का स्पष्ट उल्लंघन किया है जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। जप्त तीन घरेलू गैस सिलेण्डर को राजसात किये जाने की प्रार्थना की गई।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो को नोटिस धारा 6बी ई0सी0 एक्ट जारी किया गया। अप्रार्थी की ओर से एडवोकेट श्री पंकज कुमार का वकालतनामा पेश हुआ जो शामिल पत्रावली किया गया। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

पैरोकार रसद ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को दौहराते हुये जाहिर किया कि वक्त जांच दुकान में तीन घरेलू गैस सिलेण्डर आईआसीलएल कम्पनी

.....2

जिला कलक्टर
भरतपुर

(इण्डेन) पाये गये, दुकान में घरेलू गैस सिलेण्डर होने बावत अप्रार्थी से गैस सिलेण्डरों की भण्डारण बावत रिकार्ड मांगा गया। अप्रार्थी के पास कोई रिकार्ड नहीं मिला मौके से उक्त तीनों गैस सिलेण्डर जप्त किये गये। अप्रार्थी का यह कृत्य घरेलू गैस सिलेण्डरों को उक्त फर्म पर अवैध दुरुपयोग करने पर द्रवित पैट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 एवं 7सी का स्पष्ट उल्लंघन किया है जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। घरेलू खाली गैस सिलेण्डर घर से मंगाकर भरवाने के लिये जा रहे थे। निरीक्षक दल ने जांच के दौराने गलत रुप से जप्त किया है। गैस सिलेण्डर वापिस दिलाये जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया उभय पक्ष के कथनों पर गौर किया। अप्रार्थी की दुकान पर तीन घरेलू गैस सिलेण्डर मिले हैं, अप्रार्थी ने जिनके भण्डारण सम्बन्धी कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है। अतः अप्रार्थी का यह कृत्य द्रवित पैट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 एवं 7सी का स्पष्ट उल्लंघन किया है जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अस्तु प्रार्थना पत्र धारा 6 ए ईसी एक्ट स्वीकार किया जाने योग्य रहता है।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थना पत्र धारा 6ए ईसी एक्ट स्वीकार किया जाता है। मोके पर जप्त जप्तशुदा तीन घरेलू गैस सिलेण्डर आईओसीएल कम्पनी को राजसात (Confiscate) किया जाता है। जप्त गैस सिलेण्डरों को सम्बन्धित कम्पनी में जमा कराने तथा खाद्य एवं नागरिक रसद विभाग के पत्रांक 86 (23)खा0ले0/6/89 जयपुर दिनांक 20.10.2000 के परिप्रेक्ष्य में उक्त गैस कम्पनी/आयल कम्पनी गैस सिलेन्डरों से जो धन राशि प्राप्त होगी वह धन राशि कम्पनी द्वारा राजकोष में जमा कराये जाने की आज्ञा जिला रसद अधिकारी भरतपुर को दी जाती है।

निर्णय आज दिनांक 21.06.2024 को सुनाया गया।

(डॉ. अमित यादव)
जिला कलक्टर,
भरतपुर